तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
24 3/25	पत्रावली पेश। वास्ते पेश करने जवाब दिनांक→ 17/4/25 को पेश हो। तब तक T.I. अवधि बढ़ाई जाती है।	
17 4/25	पत्रावली पेश। अप्रार्थी सं. 1 to 6 व 10 की ओर से आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया जाता है। जवाब सरकार मूल वाद में अंकित किया गया। वास्ते बहस दिनांक - 9/5/25 को पेश हो। तब तक T.I. अवधि बढ़ाई जाती है।	
9 5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 12/5/2025 को पेश हो। तब तक T.I. अवधि बढ़ाई जाती है।	
12 5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 16/6/25 को पेश हो। तब तक T.I. अवधि बढ़ाई जाती है। पुनश्च: बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 28/5/25 को पेश हो।	
28 5/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार विवादित भूमियाँ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। प्रार्थीगण बिना बटवारा करवाये भूमियों को अप्रार्थीगण द्वारा बेचान नहीं करने की निषेधाज्ञा चाहते है। अप्रार्थीगण ने	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
प्रार्थीगण के कथनों को अस्वीकार कर प्र०पत्र प्रार्थीगण को खारीज किये जाने का अंकन किया है। मामालय वाद सन्तुष्टी के वादग्रस्त भूमियों को मूल वाद के निस्तारण होने तक सरंक्षित रखना उचित समझता है, ताकि अनावश्यक वाद बाहुलता ना हो। अतः प्रकरण में दिनांक 12/11/24 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद "कन्फर्म" (Confirm) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	